भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4545

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पर्यावास अधिकार

4545. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(ई) के अंतर्गत पर्यावास शब्द की गलत व्याख्या और गलत अनुवाद की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गलत व्याख्या को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) दिनांक 31.12.2024 तक लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से कितने पीवीटीजी को पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए हैं; और

(ग) क्या विगत दस वर्षों के दौरान खनन कार्य शुरू करने/विस्तार करने और विकास संबंधी कार्यकलाप के लिए रास्ता बनाने हेतु पीवीटीजी से संबंधित सदस्यों को उनके आवासों से विस्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क): अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, एफआरए) की धारा 3(1)(ङ) के तहत पीवीटीजी के लिए पर्यावास के सामुदायिक स्वामित्व अधिकार सहित अधिकारों की मान्यता और निहितता का प्रावधान है, जो सुनिश्चित करता है कि पीवीटीजी अपने पारंपरिक पर्यावास के संरक्षण के हकदार हैं। धारा-2 (ज) पीवीटीजी समुदाय के लिए 'पर्यावास' को परिभाषित करती है।

मंत्रालय द्वारा धारा 3(1)(ङ) के तहत 'पर्यावास' शब्द में अस्पष्टता देखी गई क्योंकि इसका अनुवाद 'आवास' के रूप में किया गया था। परिणामस्वरूप, कुछ राज्यों ने इंदिरा आवास योजना और ऐसी अन्य आवास योजनाओं के तहत आवास सुविधाएं प्रदान करने के अर्थ में 'पर्यावास' शब्द

को आवास शब्द के समान माना। इस संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23.04.2015 को सभी मुख्य सचिवों को स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एफआरए धारा 2(ज) के तहत पर्यावास की परिभाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, और आगे धारा 3(1)(ङ) के तहत ऐसे पर्यावास पर वन अधिकार का वर्णन करता है। मंत्रालय ने उसी पत्र में उन क्षेत्रों को भी स्पष्ट किया है जिन पर प्रथागत काश्तकारों को मान्यता दी जा सकती है।

(ख): एफआरए उन सभी पात्र वन निवासी जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है जो ऐसे वनों पर निर्भर रहे हैं। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम पीवीटीजी के लिए पर्यावास अधिकारों सहित इन अधिकारों को निहित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 14 जिलों में **10 पीवीटीजी** के लिए 'पर्यावास' अधिकार निहित किए हैं।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) जो कि भूमि संबंधी मामलों के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जैसा कि भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण डीओएलआर द्वारा प्रशासित किये जा रहे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है। इस प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास खनन कार्यों को शुरू करने/विस्तार करने और किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए रास्ता बनाने के लिए पीवीटीजी से संबंधित सदस्यों के अपने 'पर्यावासों' से विस्थापन के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय नियमित रुप से राज्य सरकारों पर भारत के संविधान और अन्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालता है ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय (पीवीटीजी सहित) के हितों की रक्षा की जा सके और उचित पुर्नवासन सुनिश्चित किया जा सके।

*****